HONASA

March 01, 2024

To,
Listing Department
NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED
Exchange Plaza, C/1, Block G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai – 400 051

Scrip Symbol: HONASA

To,
Listing Department
BSE LIMITED
P. J. Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400 001

Scrip Code: 544014

Sub: Disclosure under Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015 - Newspaper Advertisements -Corrigendum of Postal Ballot Notice

Dear Sir / Madam,

In continuation of our letter dated February 28, 2024, please find enclosed herewith the copies of newspaper cuttings with respect to Corrigendum of Postal Ballot Notice as published in the following newspapers:

Particulars	Date of Publishing
Financial Express (English)	February 29, 2024
Jansatta (Hindi)	March 01, 2024

The same is being made available on the website of the Company at www.honasa.in.

This is for your information and necessary records.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **HONASA CONSUMER LIMITED**

DHANRAJ DAGAR
Digitally signed by DHANRAJ DAGAR
Date: 2024.03.01 09:21:33 +05'30'

DHANRAJ DAGAR
COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER
Encl: a/a

IDFC First Bank Limited

(erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited)
CIN : L65110TN2014PLC097792
Registered Office: - KRM Towers, 8th Floor, Harrington Road, Chetpet, Chennai- 600031.
Tel : +91 44 4564 4000 | Fax: +91 44 4564 4022

Notice under Section 13 (2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

The following borrowers and co-borrowers availed the below mentioned secured loans from **IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC FIRST Bank Limited)** The loans of the below-mentioned borrowers and co- borrowers have been secured by the mortgage of their respective properties. As they have failed to adhere to the terms and conditions of the respective loan agreements and had become irregular, their loan were classified as NPA as per the RBI guidelines. Amounts due by them to **IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC FIRST Bank Limited)** are mentioned as per respective notices issued more particularly described in the following table and further interest on the said amounts shall also be applicable and the same will be charged as per contractual rate with effect from their respective dates.

Sr No.	Loan Account No.	Type of Loan	Name of borrowers and co-borrowers	Section 13 (2) Notice Date	Outstanding amount as per Section 13 (2) Notice	Property Address
1.	1932854, 1388704 & 388514	LOAN AGAINST PROPERTY	1. AJAY KUMAR GANDHI 2. SANJEEV KUMAR 3 ASHOK KUMAR GANDHI 4. SUDHIR KUMAR GANDHI (IN THE CAPACITY OF LEGAL HEIR OF LATE CHAND RANI GANDHI) 5. CHAND RANI GANDHI, (DECEASED THROUGH LEGAL HEIRS AS ADDRESSED) 6. SANJEEV KUMAR GANDHI (SON OF DECEASED)	12.07.2023	3,10,74,502.15/-	ALL THAT PART AND PARCEL OF RESIDENTIAL BUILT UP HOUSE NO. B-249, BLOCK NO. B, ADMEASURING 250 SQ. MTRS., I.E., 299 SQ. YDS., HAVING COVERED AREA 4000 SQ. FT., IN THE RESIDENTIAL COLONYKNOWN AS SHUSHANK LOK, PHASE-1, GURGAON, SITUATED IN AND AROUND VILLAGE SARHAUL, SUKHRALI, CHAKKARPUR, SALOKHRA, KANHAI & WAZIRABAD, TEHSIL & DISTRICT GURGAON, HARYANA-122001, AND **BOUNDED AS: EAST: B-226, WEST: ROAD, NORTH: B-248 SOUTH:B-247**
2	23402381	LOAN AGAINST PROPERTY	1. A S JEWELLERS PROP AJAY RAGHAV 2. MRS. ASHA RAGHAV	02.08.2023	1,94,13,081.01/-	ALL THAT PART AND PARCEL OF IMMOVABLE PROPERTY SITUATED AT PLOT NO. 667, MEASURING 153 SQ. MTRS., SECTOR 10, URBAN ESTATE GURGAON, HARYANA – 122001.

You are hereby called upon to pay the amounts to **IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC FIRST Bank Limited)** as per the details shown in the above table with contracted rate of interest thereupon from their respective dates and other costs, charges etc. within 60 days from the date of this publication, failing which the undersigned shall be constrained to initiate proceedings, under Section 13 (4) and section 14 of the SARFAESI Act, against the mortgaged properties mentioned hereinabove to realize the amount due to **IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC FIRST Bank Limited).** Further you are prohibited under Section 13 (13) of the said Act from transferring the said secured assets either by way of sale/lease or otherwise.

Sd/-
Authorized Officer
Date : 29.02.2024
Place : HARYANA
(erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited)

HONASA CONSUMER LIMITED

CORRIGENDUM TO THE POSTAL BALLOT NOTICE DATED DECEMBER 22, 2023

To,
The Shareholders of Honasa Consumer Limited,

Honasa Consumer Limited ("Company") has circulated a Postal Ballot Notice dated December 22, 2023 together with the Explanatory Statement to the shareholders of the Company, pursuant the provisions of Section 110 read with Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act), read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("Rules"), (including any statutory modification or reenactment thereof, for the time being in force), Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2"), Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 ("SEBI SBEB & SE Regulations") and other applicable laws and regulations, for seeking approval of shareholders of the Company by way of special resolutions through remote e-voting by way of postal ballot process.

This corrigendum is being issued in continuation of the postal ballot notice dated December 22, 2023 to the shareholders of the Company to provide additional details in the explanatory statement of the said postal ballot notice as mentioned herein and pursuant to the provisions of Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021.

We would like to draw the attention of all the shareholders of the Company towards the Explanatory Statement forming part of the postal ballot notice dated December 22, 2023 and circulated to the shareholders of the Company on December 29, 2023. The Board of Directors of the Company had approved the postal ballot notice on December 22, 2023 for ratification of Honasa Consumer Limited Employees Stock Option Plan - 2018 and Honasa Consumer Limited Employees Stock Option Plan – 2021. However due to an inadvertent error, the details of total number of options to be offered and granted was missed and not disclosed in the explanatory statement of the said postal ballot notice.

For the sake of better clarity and understanding, the revised "Total number of Options to be granted and Equity Shares to be issued and allotted" under point no. 1 of Explanatory Statement in respect to Item No. 1 & 2 should be read as follows:

Sr. No.	Content of Explanatory Statement in the postal ballot notice.	Modification / Clarifications Made.
1	**Explanatory Statement in respect of Special Business Item No. 1 & 2:** **1. Brief Description of the Scheme:** **Total number of options to be granted and Equity Shares to be issued and allotted:** The total number of Equity Shares to be allotted pursuant to exercise of Options under the Scheme to the single Eligible Employees shall not exceed maximum of 1% (one per cent) of the issued Equity Share Capital of the Company having face value of Rs. 10/ - (Rupees Ten only) per share.	**Explanatory Statement in respect of Special Business Item No. 1 & 2:** **1. Brief Description of the Scheme:** **Total number of options to be granted and Equity Shares to be issued and allotted:** **Before the below para:** "The total number of Equity Shares to be allotted pursuant to exercise of Options under the Scheme to the single Eligible Employees shall not exceed maximum of 1% (one per cent) of the issued Equity Share Capital of the Company having face value of Rs. 10/- (Rupees Ten only) per share." **The following para shall be inserted:** The total number of Options to be granted and Equity Shares to be issued and allotted under both the Schemes of the Company shall be as under:

Particulars	ESOP Pool* (No. of options)
Initial ESOP Pool approved under both the ESOP Schemes of the Company	1,29,00,000
No. of options granted, exercised and equity shares allotted prior to the IPO	44,80,092
No. of options granted prior to the IPO (pending for exercise and allotment). Under ESOP 2018 Scheme – 46,12,971 and Under ESOP 2021 Scheme – 2,22,999. Total options granted under both the Scheme is 48,35,970.	48,35,970
No. of options lapsed & added back to the pool	0
No. of options available for fresh grants after IPO	35,83,938

* As on the date of postal ballot notice dated December 22, 2023.

For the sake of better clarity and understanding, the revised point No. 2 "Total number of Options to be granted and Equity Shares to be issued and allotted" of Explanatory Statement in respect to Item No. 3 & 4 should be read as follows:

Sr. No.	Content of Explanatory Statement in the postal ballot notice.	Modification / Clarifications Made.
1	**Explanatory Statement in respect of Special Business Item No. 3 & 4:** **2. Total number of options to be granted and Equity Shares to be issued and allotted:** The total number of Equity Shares to be allotted pursuant to exercise of Options under the Scheme to the single Eligible Employees shall not exceed maximum of 1% (one per cent) of the issued Equity Share Capital of the Company having face value of Rs. 10/ - (Rupees Ten only) per share.	**Explanatory Statement in respect of Special Business Item No. 3 & 4:** **2. Total number of options to be granted and Equity Shares to be issued and allotted:** **Before the below para:** *"The total number of Equity Shares to be allotted pursuant to exercise of Options under the Scheme to the single Eligible Employees shall not exceed maximum of 1% (one per cent) of the issued Equity Share Capital of the Company having face value of Rs. 10/- (Rupees Ten only) per share."* **The following para shall be inserted:** The total number of Options to be granted and Equity Shares to be issued and allotted under both the Schemes of the Company shall be as under:

Particulars	ESOP Pool* (No. of options)
Initial ESOP Pool approved under both the ESOP Schemes of the Company	1,29,00,000
No. of options granted, exercised and equity shares allotted prior to the IPO	44,80,092
No. of options granted prior to the IPO (pending for exercise and allotment). Under ESOP 2018 Scheme – 46,12,971 and Under ESOP 2021 Scheme – 2,22,999. Total options granted under both the Scheme is 48,35,970.	48,35,970
No. of options lapsed & added back to the pool	0
No. of options available for fresh grants after IPO	35,83,938

* As on the date of postal ballot notice dated December 22, 2023.

Note:
In case the shareholders have any concerns / queries / clarifications required or in case if upon receipt of the above additional information if the shareholders who have already voted in respect of the above matter wish to change their voting results shall write to Mr. Dhanraj Dagar, Company Secretary and Compliance Officer at Email: dhanraj.d@mamaearth.in or can call at 011-44123544 on or before Monday March 04, 2024, post which any changes in voting results will not be taken into consideration and remote revoting done shall be final.
This Corrigendum to the Notice of the EGM shall form an integral part of the Notice of EGM which has already been circulated to shareholders of Company on and from the date hereof, the Postal Ballot Notice shall always be read in conjunction with this Corrigendum. This corrigendum is available on website of both the stock exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of the Company at **www.honasa.in**. All other contents of the Postal Ballot Notice, save and except as modified or supplemented by the Corrigendum, shall remain unchanged.

By order of the Board of Directors
For, Honasa Consumer Limited
Sd/-
Dhanraj Dagar
Company Secretary and Compliance Officer
Membership No: A33308
Date: February 28, 2024
Place: Gurugram

PUBLIC NOTICE

(Under Section 102 (1) & (2) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF MR. SURESH DHAWAN, PERSONAL GUARANTOR

RELEVANT PARTICULARS

1.	Name of Debtor/Personal Guarantor	**Suresh Dhawan**
2.	Address of the Debtor/Personal Guarantor	House No. 350, Sector -12A, Faridabad, Haryana - 121001
3.	Details of order and Insolvency commencement date in respect of Debtors/ Personal Guarantors to Corporate	27.02.2024 in IB-90 (ND) 2023 passed by Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi, Bench III
4.	Name and registration number of the Insolvency Professional acting as Resolution Professional	**Rahul Jindal** **IBBI Reg No.:** IBBI/IPA-001/IP-P-02649/ 2021-2022/14048
5.	Address and e-mail of the Resolution Professional, as registered with the Board	**Add:** 52/24, Ramjas Road, Karol Bagh, New Delhi- 110005. **E-mail:** jindalrahul60@gmail.com
6.	Address and e-mail to be used for correspondence with the Resolution Professional	**Add:** Osrik Resolution Private Limited, 109, Surya Kiran Building, 19, KG Marg, Connaught Place, New Delhi-110001 **E-mail:** pg.sureshdhawan@gmail.com
7.	Last date for submission of claims	**21.03.2024**
8.	Relevant Forms in which claim to be filed available at :	**Form B** of Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) Regulations, 2019 Web link: https://www.ibbi.gov.in/home/downloads

Notice is hereby given that the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi, Bench III, has ordered the commencement of an Insolvency Resolution Process of **Suresh Dhawan, Personal Guarantor** on **27.02.2024** on an application filed by Small Industries Development Bank of India ("SIDBI") on his default as Personal Guarantor to borrowings of Stanley Hotel & Resorts Pvt. Ltd.

The creditors of **Suresh Dhawan, Personal Guarantor** are hereby called upon to submit their claims with proof on or before **21.03.2024** to the Resolution Professional at the address mentioned against entry No. 6.

The creditors shall submit their claims with proof with the Resolution Professional by sending details of the claims by way of electronic communications or through courier, speed post or registered letter.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Date : 29.02.2024
Place : New Delhi

Rahul Jindal
Resolution Professional, In the matter of Suresh Dhawan
IBBI Reg No.: IBBI/IPA-001/IP-P-02649/2021-2022/14048 | **AFA valid till** 30.06.2025

PUBLIC NOTICE

(Under Section 102 (1) & (2) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF MR. VALLABH DHAWAN, PERSONAL GUARANTOR

RELEVANT PARTICULARS

1.	Name of Debtor/Personal Guarantor	**Vallabh Dhawan**
2.	Address of the Debtor/Personal Guarantor	House No. 350, Sector -12A, Faridabad, Haryana - 121001
3.	Details of order and Insolvency commencement date in respect of Debtors/ Personal Guarantors to Corporate	27.02.2024 in IB-89 (ND) 2023 passed by Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi, Bench III
4.	Name and registration number of the Insolvency Professional acting as Resolution Professional	**Rahul Jindal** **IBBI Reg No.:** IBBI/IPA-001/IP-P-02649/ 2021-2022/14048
5.	Address and e-mail of the Resolution Professional, as registered with the Board	**Add:** 52/24, Ramjas Road, Karol Bagh, New Delhi- 110005. **E-mail:** jindalrahul60@gmail.com
6.	Address and e-mail to be used for correspondence with the Resolution Professional	**Add:** Osrik Resolution Private Limited, 109, Surya Kiran Building, 19, KG Marg, Connaught Place, New Delhi-110001 **E-mail:** pg.vallabhdhawan@gmail.com
7.	Last date for submission of claims	**21.03.2024**
8.	Relevant Forms in which claim to be filed available at :	**Form B** of Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) Regulations, 2019 Web link: https://www.ibbi.gov.in/home/downloads

Notice is hereby given that the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi, Bench III, has ordered the commencement of an Insolvency Resolution Process of **Vallabh Dhawan, Personal Guarantor** on **27.02.2024** on an application filed by Small Industries Development Bank of India ("SIDBI") on his default as Personal Guarantor to borrowings of Stanley Hotel & Resorts Pvt. Ltd.

The creditors of **Vallabh Dhawan, Personal Guarantor** are hereby called upon to submit their claims with proof on or before **21.03.2024** to the Resolution Professional at the address mentioned against entry No. 6.

The creditors shall submit their claims with proof with the Resolution Professional by sending details of the claims by way of electronic communications or through courier, speed post or registered letter.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Date : 29.02.2024
Place : New Delhi

Rahul Jindal
Resolution Professional, In the matter of Vallabh Dhawan
IBBI Reg No.: IBBI/IPA-001/IP-P-02649/2021-2022/14048 | **AFA valid till** 30.06.2025

NORTHERN RAILWAY

Azadi Ka Amrit Mahotsav

Applications are invited under scheme of 'One Station One Product' for setting up

A. Stall at: Delhi Cantt, Meerut City, Meerut Cantt., Delhi Shahdara, Gurgaon, Pataudi Road, Panipat stations.

B. Trolley at Baraut, Ballabhgarh, Faridabad New Town, Nangloi, Noli, Narela, Tughlakabad, Palam, Delhi Kishan Ganj, Khatauli, Khekra, Sampla, Baghpat Road, Sakoti Tanda, Delhi Safdurjung, Delhi Sarai Rohilla, Modinagar, Shivaji Bridge, Tilak Bridge & Shakurbasti stations in leading newspapers.

• The period for setting up of stall at Meerut Cantt., Gurgaon, Pataudi Road station per spell will be 90 days.

• The period for setting up to Trolley at stations mentioned in (B) above will be 30 days per spell.

• Registration fee for NSG 1, 2 & 3 stations will be charged @ rate of Rs. 2000 for each spell of thirty days and for **NSG 4** (Pataudi Road, Baraut, Ballabhgarh, Faridabad New town, Noli, Narela, Tughlakabad, Palam, Modinagar & Shakurbasti) **NSG 5** (Meerut Cantt., Delhi Kishan Ganj, Delhi Safdurjung, Sampla, Khatauli, Khekra, Baghpat Road, Shivaji Bridge, Tilak Bridge & Delhi safdarjung) & **NSG 6** (Sakoti Tanda) registration fee will be charged @ rate of Rs. 1000 for each spell thirty days.

• The following are the eligibility criteria for participant viz.

a) Holder of Artisans/Weaver ID card issued by Development Commissioner Handicraft, Development Commissioner Handloom, or by the requisite state/Central Government Authority.

b) Individual artisans/weavers/craftsmen enrolled/ registered with Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Limited (TRIFED)/National Handloom Development Corporation (NHDC)/Khadi/Village Industries Commission (KVIC)/ associated with Social Organizations, State Govt. bodies and associated with registered micro enterprises on the Udyam Portal of the Ministry of MSME and NGOs etc.

c) Self Help Groups registered with PMEGP (Prime Minister's Employment Generation Programme).

d) Marginalized or weaker sections of society.

e) No separate logo shall be allowed.

• The applicant will have to submit an undertaking to the Station Superintendent indicating that no activity would be undertaken to adversely affect the train operations, passenger safety and image of the Railways.

• Application should be addressed and can be submitted to Station Superintendent at station by the applicant till 15:00 hrs of 07.03.2024, which will be opened on same day.

• Station Superintendent will make priority roster of all approved participants and priority will be established through a draw of lots conducted at the station in the presence of all approved applicants by the Station Manager /Sectional CMI and nominated Finance representative.

• The One Station One Product scheme shall be governed by Railway Board's Commercial Circular No. 12 of 2022 and 09 of 2023 respectively available at website:www.indianrailways.gov.in & URL: https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/traffic_comm/Comm_Cir_2022/OSOP%20Policy.pdf &https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/traffic_comm/Comm_Cir_2023/CC%20%2009%20of%202023.pdf

• For any queries applicant may contact Station Superintendent or CMI of the respective stations. 640/2024

Serving Customers With A Smile

PUBLIC NOTICE

(Under Section 102 (1) & (2) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF MR. RUPIN MALHOTRA, PERSONAL GUARANTOR

RELEVANT PARTICULARS

1.	Name of Debtor/Personal Guarantor	**Rupin Malhotra**
2.	Address of the Debtor/Personal Guarantor	House No. E-104, Greater Kailash Enclave, Part-I, New Delhi- 110048
3.	Details of order and Insolvency commencement date in respect of Debtors/ Personal Guarantors to Corporate	27.02.2024 in IB-88 (ND) 2023 passed by Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi, Bench III
4.	Name and registration number of the Insolvency Professional acting as Resolution Professional	**Rahul Jindal** **IBBI Reg No.:** IBBI/IPA-001/IP-P-02649/ 2021-2022/14048
5.	Address and e-mail of the Resolution Professional, as registered with the Board	**Add:** 52/24, Ramjas Road, Karol Bagh, New Delhi- 110005. **E-mail:** jindalrahul60@gmail.com
6.	Address and e-mail to be used for correspondence with the Resolution Professional	**Add:** Osrik Resolution Private Limited, 109, Surya Kiran Building, 19, KG Marg, Connaught Place, New Delhi-110001 **E-mail:** pg.rupinmalhotra@gmail.com
7.	Last date for submission of claims	**21.03.2024**
8.	Relevant Forms in which claim to be filed available at :	**Form B** of Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) Regulations, 2019 Web link: https://www.ibbi.gov.in/home/downloads

Notice is hereby given that the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi, Bench III, has ordered the commencement of an Insolvency Resolution Process of **Rupin Malhotra, Personal Guarantor** on **27.02.2024** on an application filed by Small Industries Development Bank of India ("SIDBI") on his default as Personal Guarantor to borrowings of Stanley Hotel & Resorts Pvt. Ltd.

The creditors of **Rupin Malhotra,** Personal Guarantor are hereby called upon to submit their claims with proof on or before **21.03.2024** to the Resolution Professional at the address mentioned against entry No. 6.

The creditors shall submit their claims with proof with the Resolution Professional by sending details of the claims by way of electronic communications or through courier, speed post or registered letter.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Date : 29.02.2024
Place : New Delhi

Rahul Jindal
Resolution Professional, In the matter of Rupin Malhotra
IBBI Reg No.: IBBI/IPA-001/IP-P-02649/2021-2022/14048 | **AFA valid till** 30.06.2025

OMAXE
Turning dreams into reality

Omaxe Limited

Regd. Office: 19-B, First Floor, Omaxe Celebration Mall, Sohna Road, Gurugram, Haryana -122001
Corporate Office: Omaxe House, 7, Local Shopping Complex, Kalkaji, New Delhi- 110019 | Tel: 91-11-41893100
Email: secretarial_1@omaxe.com | Website: www.omaxe.com
CIN: L74899HR1989PLC051918

NOTICE OF POSTAL BALLOT

NOTICE is hereby given to the members of Omaxe Limited (the **'Company'**) that in terms of the provisions of Sections 108, 110 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 (including any amendment(s), statutory modification(s) and/ or re-enactment(s) thereof for the time being in force) read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and in compliance with General Circulars No. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 08, 2021, 3/2022 dated May 05, 2022, 11/2022 dated December 28, 2022 and 09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs for holding general meetings/conducting postal ballot (hereinafter collectively referred to as **'MCA Circulars'**), Regulation 44 and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended (**"Listing Regulations"**) and relevant circulars issued by SEBI in this regard, Secretarial Standards on General Meetings (**'SS-2'**) issued by 'The Institute of Company Secretaries of India' and subject to such other laws and regulations, as applicable, the Company is seeking consent of its members for the Special Businesses by way of Postal Ballot & voting through electronic means only (**"Remote e-voting"**), as set out in the postal ballot notice dated February 09, 2024 (**"Postal Ballot Notice"**).

In accordance with the MCA Circulars, Section 110 read with Rule 22 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and SS-2, the Company has, on February 28, 2024 completed the dispatch of the said Postal Ballot Notice in electronic form only to those members whose e-mail IDs are registered with the Company/Depositories and physical copy of the notice along with postal ballot form and pre-paid business reply envelope is not being sent. The communication of assent/dissent of the Members will only take place through the Remote e-voting. The voting rights of the Members shall be in proportion to the paid-up value of their shares in the equity share capital of the Company as on Friday, February 23, 2024, being **"Cut-off Date"**. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on Cut-off Date only shall be entitled to avail the facility of Remote e-voting and to participate in the postal ballot voting process.

The Company has engaged M/s Link Intime India Private Limited (**"LIIPL"**) to provide the facility of Remote e-voting to all the Members to enable them to cast their votes electronically in respect of the Special Businesses as mentioned in the Postal Ballot Notice. The Remote e-voting facility is available at the link: https://instavote.linkintime.co.in from Thursday, February 29, 2024 (09:00 A.M.) till Friday, March 29, 2024 (05:00 P.M.). The Remote e-voting shall be disabled thereafter by LIIPL and no further voting shall be allowed. During the Remote e-voting period, members holding shares either in physical or dematerialized form, as on Cut-off Date, may cast their vote electronically.

Members who have not registered their email ID are requested to register the same in the following manner:

- Members holding shares in dematerialized form are requested to register their email ID with their depository participants with whom they maintain their demat accounts.
- Members holding shares in physical form, are requested to submit their request to the RTA at delhi@linkintime.co.in or to the Company at secretarial_1@omaxe.com along with signed scanned copy of the request letter providing the email address, mobile number, self-attested PAN copy and copy of share certificate.

Those members who have their e-mail address, mobile number, postal address, and bank account details already registered, are requested to validate/update their details by contacting their Depository Participant in case share held in dematerialized form or by contacting our RTA Link Intime India Private Limited in case the shares are held in physical form.

The Company has appointed Mr. Neeraj Jain (ICSI M. No. F9599, COP No. 26163), Proprietor of M/s Neeraj Jain and Associates, Practicing Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the postal ballot process through Remote e-voting in a fair and transparent manner. The Scrutinizer shall submit their report to the Chairman/ Managing Director/ Whole Time Director of the Company, or any other person authorized by the Board in writing, after completion of scrutiny of postal ballot (by Remote e-voting) process in a fair and transparent manner. The results of the postal ballot will be announced on or before Tuesday, April 02, 2024 and will be displayed on the website of the Company (i.e. www.omaxe.com) and will be intimated to BSE Limited (**"BSE"**) and National Stock Exchange of India (**"NSE"**) where the Equity Shares of the Company are listed.

Members are requested to carefully read all the notes as set out in the Postal Ballot Notice and in particular, the manner of casting vote through Remote e-voting. The Postal Ballot Notice is available on the Company's website www.omaxe.com and website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of Link Intime India Private Limited at instavote.linkintime.co.in.

For the procedure of electronic voting please refer to the detailed instructions for the same which form part of the Postal Ballot Notice before exercising your voting right. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members available on the website https://instavote.linkintime.co.in under the Help & FAQ's Section or you can contact to Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Vice President - evoting, Link Intime India Private Limited, C-101, 1st Floor, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West) Mumbai, Maharashtra – 400083, Tel: 022-49186000, Email: enotices@linkintime.co.in, who will address the grievances related to electronic voting. The Members may also write to the Company at secretarial_1@omaxe.com.

By order of the Board
For **Omaxe Limited**
Sd/-
D B R Srikanta
Company Secretary
M. No.: F3992

Place: New Delhi
Date: February 28, 2024

इंडियन बैंक Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

अंचल कार्यालय : मुंबई पश्चिम, रिकवरी विभाग:- पहली मंजिल, बी-विंग, 101, नियो विक्रम सोसाइटी, सहकार नगर, न्यू लिंक रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-400 058।

ई-नीलामी 15.03.2024 को सुबह 11.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वेबसाइट https://www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से "जो है यही है", "जहाँ है जैसे है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" आधार के तहत

परिशिष्ट-IV-A [नियम 8(6) के प्रावधान देखें] अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडिटर के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति(यों), जिसका सांकेतिक कब्जा इंडियन बैंक, प्रतिभूत क्रेडिटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया था, की बिक्री बकायों की वसूली हेतु 15.03.2024 को "जो है यहीं है", "जहाँ है जैसे है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" आधार पर की जायेगी।

दस्तावेज, सम्पत्ति तथा निरीक्षण की तिथि एवं समय : 13.03.2024 को 10.00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप. तक

जमा धरोहर राशि : 14.03.2024 को 10.00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप.

क्र. सं.	कर्जदार का नाम	सम्पत्ति का विवरण (कब्जे की स्थिति) सम्पत्ति आईडी	प्रतिभूत ऋण की राशि	आरक्षित मूल्य (आर.पी.) जमा धरोहर राशि 14.03.2024 तक	शाखा पता एवं बिक्री विवरण हेतु सम्पर्क विवरण
1	मैसर्स इम्पाइट जेम डिजाइन्स	1. सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत संपत्ति संख्या 1133 से 1135, रेलवे रोड के पीछे, ताज लाल कॉम्प्लेक्स के पास, एमसी निर्मित पानीपत के अंदर (सांकेतिक कब्जे के तहत संपत्ति)। कब्जा- सांकेतिक संपत्ति आईडी- IDIBAEWC01	29.08.2023 तक रु. 3,17,08,693/- (रुपये तीन करोड़ सत्रह लाख आठ हजार छह सौ तिरानबे मात्र) अतिरिक्त ब्याज, लागत, अन्य शुल्क और उस पर खर्च के साथ	रु. 2,16,00,000 .00 (रुपये दो करोड़ सोलह लाख मात्र) रु. 21,60,000 (रुपये इक्कीस लाख साठ हजार मात्र)	11/12, माधव नगर, एस वी रोड, अंधेरी (पश्चिम), 400058 शाखा- अंधेरी शाखा प्रमुख- रामेश्वर लाल प्रजापत मोबा.- 7568507016

अधिक विवरण तथा नियम एवं शर्तों को डाउनलोड करने हेतु कृपया देखें : (i) https://www.indianbank.in, (ii) https://www.mstcecommerce.com, (iii) https://www.ibapi.in. ई-नीलामी सेवा प्रदाता के प्लेटफॉर्म (https://www.mstcecommerce.com) हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता मैसर्स एमएसटीसी लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 225-सी, ए.जे.सी. बोस रोड, कोलकाता-700020 (फोन और टोल फ्री नंबर 079-41072412/411/413 या 1800-103-5342 पर संपर्क करें) द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। संभावित बोलीदाताओं के लिए महत्वपूर्ण नोट: (https://www.mstcecommerce.com के माध्यम से ई-नीलामी, पंजीकरण इच्छुक बोलीदाता द्वारा ईएमडी तिथि पर या उससे पहले पूरा किया जाना चाहिए और ग्लोबल वॉलेट में ईएमडी शेष होना चाहिए।) बोलीदाता को पूर्व में ई-नीलामी निविदा/प्रक्रिया को पूरा करना होगा:- चरण 1: बोलीदाता/क्रेता पंजीकरण - बोलीदाता को अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का उपयोग करके ई-नीलामी पोर्टल (लिंक ऊपर दिया गया है) http://www.mstcecommerce.com (यानी https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/) पर पंजीकरण करना होगा। चरण 2: केवाईसी सत्यापन - बोलीदाता को अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। केवाईसी दस्तावेजों को ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा सत्यापित किया जाएगा (2 कार्य दिवस लग सकते हैं)। चरण 3: ईएमडी राशि को उसके ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में स्थानांतरित करना: ई-नीलामी पोर्टल पर सृजित चालान का उपयोग करके एनईएफटी / ट्रांसफर का उपयोग करके फंड का ऑनलाइन / ऑफ-लाइन हस्तांतरण। चरण 1 से चरण 3 तक बोलीदाता को ईएमडी तिथि से पहले या उससे पहले ही पूरा कर लेना चाहिए।

तिथि : 01.03.2024 हस्ता./-

स्थान : मुम्बई इंडियन बैंक, अधिकृत प्राधिकारी

ध्यान दें: यह उपरोक्त ऋण के कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता के लिए उपरोक्त उल्लिखित तिथि पर इस बिक्री के आयोजन और अन्य विवरणों के बारे में एक नोटिस भी है।

होनासा कंज्यूमर लिमिटेड
22 दिसंबर, 2023 की पोस्टल बैलट अधिसूचना का शुद्धिपत्र

सेवा में,
होनासा कंज्यूमर लिमिटेड के शेयरधारक,

होनासा कंज्यूमर लिमिटेड ('कंपनी') ने कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 ('नियम') के नियम 22 (किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके कुछ समय के लिए पुनः अधिनियमन सहित) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 108 के साथ पठित धारा 110 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक ('एसएस-2'), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 ('सेबी एसबीईबी और एसई विनियम') तथा अन्य प्रयोज्य कानूनों और विनियमों के अनुसार, पोस्टल बैलेट प्रक्रिया के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से विशेष प्रस्तावों के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कंपनी के व्याख्यात्मक विवरण के साथ 22 दिसंबर, 2023 को पोस्टल बैलेट नोटिस भेजा गया है।

यह शुद्धिपत्र कंपनी के शेयरधारकों को 22 दिसंबर, 2023 के पोस्टल बैलट नोटिस की निरंतरता में जारी किया जा रहा है ताकि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुसार उक्त पोस्टल बैलट नोटिस के व्याख्यात्मक विवरण में अतिरिक्त विवरण प्रदान किया जा सके।

हम कंपनी के सभी शेयरधारकों का ध्यान उस व्याख्यात्मक विवरण की ओर आकर्षित करना चाहते हैं जो 22 दिसंबर, 2023 के पोस्टल बैलेट नोटिस का हिस्सा है और 29 दिसंबर, 2023 को कंपनी के शेयरधारकों को वितरित किया गया है। कंपनी ने 22 दिसंबर, 2023 को होनासा कंज्यूमर लिमिटेड कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना-2018 और होनासा कंज्यूमर लिमिटेड कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना-2021 के अनुसमर्थन के लिए पोस्टल बैलट नोटिस को मंजूरी दे दी थी। हालाँकि, एक अनजानी त्रुटि के कारण, प्रस्तावित और दिए जाने वाले विकल्पों की कुल संख्या का विवरण छूट गया था और उक्त पोस्टल बैलट नोटिस के व्याख्यात्मक विवरण में इसका खुलासा नहीं किया गया था।

बेहतर स्पष्टता और समझ के लिए, मद नंबर 1 और 2 के संबंध में व्याख्यात्मक कथन के बिंदु संख्या 1 के तहत संशोधित "प्रदत्त विकल्पों की कुल संख्या और जारी और आवंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की कुल संख्या" को इस प्रकार पढ़ा जाए:

क्र.सं.	पोस्टल बैलट नोटिस में व्याख्यात्मक विवरण की सामग्री	किया गया परिवर्द्धन/स्पष्टीकरण
1	विशेष व्यवसाय के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण मद सं. 1 एवं 2: 1. योजना का संक्षिप्त विवरण: दिए जाने वाले विकल्पों की कुल संख्या और जारी एवं आवंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयर: एकल पात्र कर्मचारियों को योजना के तहत विकल्पों के प्रयोग के अनुसार आवंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की कुल संख्या कंपनी की जारी इक्विटी शेयर पूंजी के अधिकतम 1% (एक प्रतिशत) से अधिक नहीं होगी, जिसका अंकित मूल्य रु. 10/- (दस रुपये मात्र) प्रति शेयर है।	विशेष व्यवसाय के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण मद सं. 1 एवं 2: 1. योजना का संक्षिप्त विवरण: दिए जाने वाले विकल्पों की कुल संख्या और जारी एवं आवंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयर: निम्नलिखित पैरा के पूर्व : "एकल पात्र कर्मचारियों को योजना के तहत विकल्पों के प्रयोग के अनुसार आवंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की कुल संख्या कंपनी की जारी इक्विटी शेयर पूंजी के अधिकतम 1% (एक प्रतिशत) से अधिक नहीं होगी, जिसका अंकित मूल्य रु. 10/- (दस रुपये मात्र) प्रति शेयर है।" निम्नलिखित पैरा जोड़ा जायेगा : कंपनी की दोनों योजनाओं के तहत दिए जाने वाले विकल्पों और जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की कुल संख्या निम्नानुसार होगी:

विवरण	ईएसओपी पूल* (विकल्पों की संख्या)
कंपनी की दोनों ईएसओपी योजनाओं के तहत स्वीकृत प्रारंभिक ईएसओपी पूल	1,29,00,000
आईपीओ से पहले दिए गए विकल्पों, प्रयोग किए गए और आवंटित इक्विटी शेयरों की संख्या	44,80,092
आईपीओ से पहले दिए गए विकल्पों की संख्या (प्रयोग और आवंटन के लिए लंबित)। ईएसओपी 2018 योजना के तहत - 46,12,971 और ईएसओपी 2021 योजना के तहत - 2,22,999 दोनों योजनाओं के तहत दिए गए कुल विकल्प 48,35,970 हैं।	48,35,970
व्यपगत हुए और वापस पूल में जोड़े गए विकल्पों की संख्या	0
आईपीओ के बाद नए अनुदान के लिए उपलब्ध विकल्पों की संख्या	35,83,938

*पोस्टल बैलट नोटिस दिनांक 22 दिसंबर, 2023 के अनुसार।

बेहतर स्पष्टता और समझ के लिए, मद संख्या 3 और 4 के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण के संशोधित बिंदु संख्या 2 "दी जाने वाले विकल्पों की कुल संख्या और जारी एवं आवंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की कुल संख्या" को इस प्रकार पढ़ा जाए:

क्र.सं.	पोस्टल बैलट नोटिस में व्याख्यात्मक विवरण की सामग्री	किया गया परिवर्द्धन/स्पष्टीकरण
1	विशेष व्यवसाय के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण मद सं. 3 एवं 4 2. दिए जाने वाले विकल्पों की कुल संख्या और जारी एवं आवंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयर: एकल पात्र कर्मचारियों को योजना के तहत विकल्पों के प्रयोग के अनुसार आवंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की कुल संख्या कंपनी की जारी इक्विटी शेयर पूंजी के अधिकतम 1% (एक प्रतिशत) से अधिक नहीं होगी, जिसका अंकित मूल्य रु. 10/- (दस रुपये मात्र) प्रति शेयर है।	विशेष व्यवसाय के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण मद सं. 3 एवं 4 2. दिए जाने वाले विकल्पों की कुल संख्या और जारी एवं आवंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयर: निम्नलिखित पैरा से पूर्व : "एकल पात्र कर्मचारियों को योजना के तहत विकल्पों के प्रयोग के अनुसार आवंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की कुल संख्या कंपनी की जारी इक्विटी शेयर पूंजी के अधिकतम 1% (एक प्रतिशत) से अधिक नहीं होगी, जिसका अंकित मूल्य रु. 10/- (दस रुपये मात्र) प्रति शेयर है।" निम्नलिखित पैरा जोड़ा जायेगा : कंपनी की दोनों योजनाओं के तहत दिए जाने वाले विकल्पों और जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की कुल संख्या निम्नानुसार होगी:

विवरण	ईएसओपी पूल* (विकल्पों की संख्या)
कंपनी की दोनों ईएसओपी योजनाओं के तहत स्वीकृत प्रारंभिक ईएसओपी पूल	1,29,00,000
आईपीओ से पहले दिए गए विकल्पों, प्रयोग किए गए और आवंटित इक्विटी शेयरों की संख्या	44,80,092
आईपीओ से पहले दिए गए विकल्पों की संख्या (प्रयोग और आवंटन के लिए लंबित)। ईएसओपी 2018 योजना के तहत - 46,12,971 और ईएसओपी 2021 योजना के तहत - 2,22,999 दोनों योजनाओं के तहत दिए गए कुल विकल्प 48,35,970 हैं।	48,35,970
व्यपगत हुए और वापस पूल में जोड़े गए विकल्पों की संख्या	0
आईपीओ के बाद नए अनुदान के लिए उपलब्ध विकल्पों की संख्या	35,83,938

*पोस्टल बैलट नोटिस दिनांक 22 दिसंबर, 2023 के अनुसार।

टिप्पणी:

यदि शेयरधारकों को कोई चिंता/प्रश्न/स्पष्टीकरण की आवश्यकता है या यदि उपरोक्त अतिरिक्त जानकारी प्राप्त होने पर, उपरोक्त मामले के संबंध में पहले ही मतदान कर चुके शेयरधारक अपने मतदान परिणामों को बदलना चाहते हैं, तो वे सोमवार, 04 मार्च, 2024 को या उससे पहले श्री धनराज डागर, कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी को ईमेल: **dhanraj.d@mamaearth.in** पर लिख सकते हैं या 011-44123544 पर कॉल कर सकते हैं, इसके बाद मतदान परिणामों में किसी भी बदलाव पर विचार नहीं किया जाएगा और दूरस्थ पुनर्मतदान अन्तिम माना जाएगा। पोस्टल बैलेट नोटिस के नोटिस का यह शुद्धिपत्र पोस्टल बैलेट नोटिस के नोटिस का एक अभिन्न अंग होगा जिसे पहले ही आज की तारीख से कंपनी के शेयरधारकों को प्रसारित किया जा चुका है, पोस्टल बैलेट नोटिस हमेशा इस शुद्धिपत्र के साथ पढ़ा जाएगा। यह शुद्धिपत्र दोनों स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट **www.bseindia.com** और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट **www.nseindia.com** और कंपनी की वेबसाइट **www.honasa.in** पर उपलब्ध है। पोस्टल बैलेट नोटिस की अन्य सभी सामग्री, शुद्धिपत्र द्वारा संशोधित या पूरक को छोड़कर, अपरिवर्तित रहेंगी।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
होनासा कंज्यूमर लिमिटेड
हस्ता./-
धनराज डागर
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी
सदस्यता संख्या: A33308

दिनांक: 28 फरवरी, 2024
स्थान: गुरुग्राम

सार्वजनिक नोटिस
माननीय एनसीएलटी, चंडीगढ़ बेंच
आदेश दिनांक 29.01.2024 के अनुसरण में
के संबंध में
वोक्सवैगन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
बनाम
मेसर्स जेनिका परफॉर्मेंस कार्स प्राइवेट लिमिटेड
2023 का आईए नंबर 2310
मुख्य याचिका: सीपी (आईबी) संख्या 262/सीएचडी/एचआरवाई/2018
अगली तारीख: 05.03.2024

माननीय एनसीएलटी, चंडीगढ़ बेंच के आईए संख्या 2310/2023 के निर्देशों के अनुसार प्रतिवादी को प्रकाशन जारी किया जा रहा है।

उत्तरदाता:

उत्तरदाता का नाम	आरपी को उपलब्ध पता
आयकर विभाग	मूल्यांकन इकाई, आयकर विभाग, गुरूग्राम, हरियाणा-122001

उपरोक्त शीर्षक वाले मामले में, प्रतिवादी को स्पीड पोस्ट के माध्यम से सेवा नहीं दी जा सकी और आरपी ने प्रकाशन के माध्यम से प्रतिवादी के लिए सेवा का एक वैकल्पिक तरीका अपनाने के लिए समय मांगा और जेनिका परफॉर्मेंस कार्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में एनसीएलटी के आदेश दिनांक 29.01.2024 के आईए संख्या 2310/2023 द्वारा इसकी अनुमति दी गई है।

उपरोक्त प्रतिवादी को व्यक्तिगत रूप से या किसी अधिकृत एजेंट या वकील के माध्यम से निर्धारित तिथि पर ट्रिब्यूनल के मौजूदा सदस्यों में उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए नीचे हस्ताक्षरकर्ता से संपर्क किया जा सकता है।

दिनांक 29.01.2024 के आदेश की प्रति के लिए नीचे दिए गए लिंक को देखें:- **https://ncltgov.in/gen_pdf.php?filepath=/Efile_Document/ncltdoc/casedoc/0404116000082018/04/Order-Challenge/04_order-Challange_004_170745563354504176165c5b4911d30b.pdf**

हस्ता/-
राजेन्द्र कुमार जैन,
Reg. No IBBI/IPA-001/IP-P00543/2017-2018/10968
जेनिका पर्फोर्मन्स कार्स प्राईवेट लिमिटेड
के विषय में अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर
ईमेल आईडी: **ZENICAPERCARSCIRP@GMAIL.COM**
मोबाईल नंबर: 9875921490

दिनांक: 01.03.2024
स्थान: चंडीगढ़

SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED
(formerly Fullerton India Credit Company Limited)

कॉर्पोरेट कार्यालय: 10वीं मंजिल, कार्यालय संख्या 101, 102 और 103, 2 नॉर्थ एवेन्यू, मेकर मैक्सिटी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई- 400051

मांग सूचना

वित्तीय परिसंपत्ति के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और सुरक्षाहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (अधिनियम) और सुरक्षाहित (प्रवर्तन) नियम 2002 (नियम) के प्रावधानों के तहत

अधोहस्ताक्षरी अधिनियम के तहत **एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (पूर्व में फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड) (एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट)** का अधिकृत अधिकारी होने के रूप मे अधिनियम की धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 3 के साथ जारी किया गया अधिनियम की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस, निम्नलिखित उधारकर्ता को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने के निर्देश जारी करता है। अधोहस्ताक्षरी का यथोचित मानना है कि उधारकर्ता मांग नोटिस की सेवा से बच रहे हैं, इसलिए नोटिस की सेवा नियमों के अनुसार चिपकाने और प्रकाशन द्वारा प्रभावित की जा रही है। मांग नोटिस की सामग्री नीचे दी गई है:

उधारकर्ताओ का नाम	मांग सूचना की तिथि एवं राशि
1. मिथलेश कुमार. 2. रजत गोयल.	22 फरवरी 2024 रु. 30,36,293/- [रुपये तीस लाख छत्तीस हजार दो सौ तिरानबे मात्र] 14 फरवरी, 2024 तक

अचल संपत्ति/बंधक रखी गई संपत्तियों का विवरण

वह सभी संपत्ति का टुकड़ा और पार्सल संपत्ति जिसका बेयरिंग नंबर 1 और 2 नया नंबर. 219-220 क्षेत्रफल 120 वर्ग माप याड 360 वर्ग मीटर मापने वाले कुल क्षेत्रफल खसरा नंबर 735/215 से गज बाहर ग्राम सराय पीपल थला आबादी के क्षेत्र में स्थित है जिसे सरिया पापल थला जीटी रोड दिल्ली के नाम से जाना जाता है।

उधारकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे मांग नोटिस का अनुपालन करें और इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्क, लागत और व्यय के साथ उसमें और ऊपर उल्लिखित मांग राशि का भुगतान करें। भुगतान की प्राप्ति की तारीख तक. उधारकर्ता ध्यान दें कि एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट एक सुरक्षित लेनदार है और उधारकर्ता द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा उधारकर्ता द्वारा गिरवी रखी गई अचल संपत्ति/ संपत्तियों के खिलाफ एक सुरक्षित ऋण है। . यदि उधारकर्ता निर्धारित सीमा के भीतर अपनी देनदारियों को पूरा करने में विफल रहता है, तो एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें सुरक्षित संपत्ति (ओं) पर कब्जा करना शामिल है। लेकिन यह बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और उसके तहत नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करके और भुगतान प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं है। एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट को बिक्री या हस्तांतरण का अधिकार लागू करने से पहले सुरक्षित संपत्ति को संलग्न करने और/या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित संपत्ति की बिक्री के बाद, एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट को शेष बकाया राशि की वसूली के लिए अलग कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, यदि गिरवी संपत्तियों का मूल्य एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट को देय बकाया को कवर करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपाय किसी अन्य कानून के तहत एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट के लिए उपलब्ध अन्य सभी उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है। उधारकर्ता(ओं) का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर, उपलब्ध समय के संबंध में, सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए और आगे अधिनियम की धारा 13(13) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके तहत उधारकर्ता(ओं) को एसएमएफजी इंडिया की पूर्वलिखित सहमति के बिना, किसी भी सुरक्षित परिसंपत्ति(संपत्तियों) के निपटान या उससे निपटने या बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) के माध्यम से स्थानांतरित करने से रोका/निषिद्ध किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत क्रेडिट और उपरोक्त का अनुपालन न करना दंडनीय अपराध है। मांग नोटिस की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता, यदि चाहें, तो सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरी से इसे प्राप्त कर सकते हैं।

स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 01.03.2024 हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी
एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (पूर्व में फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड)

केन्द्र सरकार के समक्ष
कंपनी पंजीयक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा चौथा तल, आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) और सीमित दायित्व साझेदारी नियम, 2009 के नियम 17 के मामले में सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008, धारा 13(3) के मामले में
और

जाई डिजाईन एलएलपी
जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं. 66, खसरा नंबर -674 जी/एफ, विलेज नावादा, वेस्ट दिल्ली, दिल्ली-110059 में है, के मामले में
......आवेदक

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एलएलपी अपने पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में स्थानांतरित करने हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13(3) के अंतर्गत कंपनी पंजीयक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पास एक याचिका दाखिल करने का प्रस्ताव करती है।

कोई भी व्यक्ति जिसका एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से कोई भी हित प्रभावित होने की संभावना हो, वह अपने हित के प्रभाव से संबंधित आश्रय एवं आपत्ति की पृष्ठभूमि को दर्शाते हुए एक शपथपत्र के साथ अपनी आपत्ति व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा **कंपनी पंजीयक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एण्ड हरियाणा चौथा तल, आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019** के पास इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर भेज सकता है और इसकी एक प्रति आवेदक एलएलपी के उपरोक्त वर्णित पंजीकृत कार्यालय में भी भेजी जानी चाहिए।

कृते की ओर से
जाई डिजाईन एलएलपी
हस्ता./-
रोबिन राय
नामित साझेदार
डीआईएन : 06781519

तिथि : 29.02.2024
स्थान : दिल्ली

फॉर्म नंबर आईएनसी 26
(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार)
केंद्र सरकार के समक्ष उत्तरी क्षेत्र
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप नियम (5) के खंड (ए) के मामले में
और

मोदी एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मामले में जिसका पंजीकृत कार्यालय तीसरी मंजिल सूर्या प्लाजा, के 185/1 सराय जुलेना, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली -110025, भारत पर है।
याचिकाकर्ता

आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत असाधारण में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव की पुष्टि के लिए केंद्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है। कंपनी को अपने पंजीकृत कार्यालय को 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' से 'पंजाब राज्य' में बदलने में सक्षम बनाने के लिए 16 फरवरी, 2024 को आम बैठक आयोजित की गई।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह या तो एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फॉर्म दाखिल करके वितरित कर सकता है या पंजीकृत द्वारा वितरित या भेज सकता है। क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, दूसरी मंजिल, "बी-2" विंग, डॉ. दीन दयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, न्यू दिल्ली-110003, को अपनी रुचि की प्रकृति और विरोध का आधार बताते हुए एक हलफनामे द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां पोस्ट करें। इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर आवेदक कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय में नीचे उल्लिखित पते पर एक प्रति भेजें:
तीसरी मंजिल सूर्या प्लाजा, के-185/1 सराय जुलेना,
न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110025

मोदी एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के लिए
हस्ता/-
मनहर मोदी
स्थान: नई दिल्ली निदेशक
दिनांक: 28-02-2024 डीआईएन: 00051746

केनरा बैंक Canara Bank
A Government of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate

परिसर एवं सम्पदा, अनुभाग, अंचल कार्यालय, आगरा,
सेक्टर 12-ए / सीसी -1, आवास विकास, राजेंद्र सेंटर, सिकंदरा, आगरा,
संपर्क- 0562-3500622, ई-मेल gacoagra@canarabank.com

मनोनयन/पैनल हेतु सूचना

उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा अंचल कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विभिन्न कार्यों के लिए विक्रेताओं के पैनल के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। कार्य का विवरण इस प्रकार है-

1. सीसीटीवी सिस्टम
2. फायर एंड बर्गलर अलार्म सिस्टम और एक्सेस कंट्रोल सिस्टम
3. फायर एक्सटिंग्विशन/हाइड्रेंट सिस्टम।

विवरण के लिए **www.canarabank.com/tenders** पर लॉग ऑन करें या केनरा बैंक से उपरोक्त पते पर संपर्क करें। अतिरिक्त परिशिष्ट, शुद्धिपत्र, संशोधन, स्पष्टीकरण आदि केनरा बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएगें।

दिनांक 01.03.2024 उप महाप्रबन्धक

एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड

इक्विटी शेयरधारकों को सूचना
विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण में कम्पनी के वित्त वर्ष 2016-2017 के इक्विटी शेयरों और अन्तिम लाभांश से सम्बन्धित अप्रदत्त/अदावाकृत लाभांश का अन्तरण

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के प्रावधानों तथा यथासंशोधित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अन्तरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 ("नियम") के अनुसार जिन शेयरधारकों द्वारा लगातार सात (7) वर्षों या इससे अधिक समय से लाभांश प्रदत्त या दावा नहीं किये गये उनके परिप्रेक्ष्य में कम्पनी के इक्विटी शेयरों को कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण ("प्राधिकरण") के डीमैट खाते में अन्तरित करना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा घोषित वित्त वर्ष 2016-17 के अन्तिम लाभांश 29 अगस्त, 2024 तक या इसके पश्चात प्राधिकरण को अन्तरित किये जाने हेतु शेष हैं। इस सम्बन्ध में वित्त वर्ष 2016-2017 के अन्तिम लाभांश से सम्बन्धित अदावाकृत/अप्रदत्त लाभांश भी अन्तरण के लिए शेष है।

नियमों के अनुपालन में कम्पनी ने सम्बद्ध शेयरधारकों के पास उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में व्यक्तिगत सूचनाएं भेज दी हैं और कथित सूचना उन शेयरधारकों के पास भौतिक रूप में भेजी जायेगी जिनके ई-मेल पते पंजीकृत नहीं हैं ताकि वे इन लाभांश(शों) का दावा कर सकें। यह सूचना उनको सम्बोधित है जिनके शेयर उचित कार्यवाही करने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान प्राधिकरण के पास अन्तरित करने योग्य हैं।

कम्पनी ने नाम, फोलियो नम्बर या डीपी आईडी तथा क्लाइंट आईडी और प्राधिकरण के पास अन्तरण हेतु बकाये इक्विटी शेयरों सहित ऐसे शेयरधारकों का पूर्ण विवरण अपनी वेबसाइट **www.smcindiaonline.com** पर अपलोड कर दिया है। अप्रदत्त/अदावाकृत लाभांश तथा प्राधिकरण के पास अन्तरित करने योग्य शेयरों के विवरण की पुष्टि के लिए शेयरधारकों से कथित वेबसाइट का सन्दर्भ लेने का निवेदन किया जाता है।

भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले तथा जिनके शेयर प्राधिकरण को अन्तरित करने योग्य हैं, वे सम्बद्ध शेयरधारक ध्यान दें कि कम्पनी कॉर्पोरेट कार्य मन्त्रालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए कथित शेयरों को डीमैट प्रारूप में परिवर्तित करने हेतु मूल शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) के स्थान पर नये शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी, तत्पश्चात कथित शेयर प्राधिकरण के पक्ष में अन्तरित हो जायेंगी। शेयरधारकों के नाम पर पंजीकृत मूल शेयर प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे।

डीमैट प्रारूप में इक्विटी शेयरधारिता के मामले में कम्पनी प्राधिकरण के पक्ष में ऐसे शेयरों के अन्तरण के लिए कॉर्पोरेट कार्यवाही के माध्यम से शेयरधारकों के सम्बद्ध डिपॉजिटरी को सूचित करेगी।

यदि कम्पनी को 27 अगस्त, 2024 तक सम्बद्ध शेयरधारको से कोई सूचना नहीं प्राप्त होती है तो नियमों के अनुपालन की दृष्टि से कम्पनी नियमों के अनुपालन में बिना कोई अन्य सूचना दिये नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियत तिथि को ऐसे शेयरों और लाभांश को को प्राधिकरण में अन्तरित कर देगी।

कृपया ध्यान दें कि प्राधिकरण को अन्तरित शेयरों के परिप्रेक्ष्य में कम्पनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। हालांकि, ऐसे शेयरों पर समस्त लाभों, यदि कोई हो, सहित अदावाकृत लाभांश एवं प्राधिकरण के पास अन्तरित शेयरों का दावा नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करके सम्बद्ध शेयरधारकों द्वारा प्राधिकरण से किया जा सकता है। अधिक विवरण के लिए कृपया **www.iepf.gov.in** तथा साथ ही कम्पनी की वेबसाइट **https://smcindiaonline.com/** का सन्दर्भ लें।

उपर्युक्त मामले से सम्बन्धित किसी पूछताछ के लिए शेयरधारक कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोबल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट एनएच-2, सी-1, ब्लॉक एलएससी, निकट सावित्री मार्केट, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058, दूरभाष नं. : 011-41410592-94, ई-मेल आईडी :**delhi@linkintime.co.in**, वेबसाइट : **www.linkintime.co.in** से सम्पर्क करें।

कृते एमएससी ग्लोबल सिक्योरिटी लिमिटेड
ह./-
(सुमन कुमार)
ई.वी.पी. (कॉर्पोरेट मामले एवं विधि), कम्पनी सचिव एवं जनरल काउंसेल
तिथि : 29 फरवरी, 2024
स्थान : नई दिल्ली
कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन : L74899DL1994PLCO63609)
पंजीकृत कार्यालय :11/6B, शान्ति चैम्बर, पूसा रोड, नई दिल्ली-110005
दूरभाष :+91-11-30111000,40753333 | **फैक्स** : +91-11-25754365
ई-मेल : smc@smcindiaonline.com | **वेबसाइट** : www.smcindiaonline.com

smc moneywise. be wise.

कार्यालय वसूली अधिकारी-I
ऋण वसूली अधिकरण-II, दिल्ली
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110 001

आर. सी. सं. 413/2019

बिक्री उद्घोषणा नोटिस

कॉर्पोरेशन बैंक बनाम मैसर्स शिव शंकर राइस मिल एवं अन्य

बिक्री की उद्घोषणा आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 52(2) के अन्तर्गत को बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम 1993 की ऋण वसूली के साथ पढ़ा जाये।

सीडी#1 मैसर्स शिव शंकर राइस मिल्स, अरैनपुरा रोड, घरौंदा, करनाल, हरियाणा

सीडी#2. श्री राजीव बंसल पुत्र श्री बाबू लाल बंसल, 25, न्यू जय भारत अपार्टमेंट, प्लॉट नं. 5, सेक्टर 4, द्वारका, नई दिल्ली। और: प्रथम तल और द्वितीय तल, छत के अधिकार के साथ, 4012-13/ III, शारदा नंद बाजार, नया बाजार, दिल्ली - 06

सीडी#3. श्री नितिन सक्सेना, जीसी-28, हरि नगर, नई दिल्ली - 110064

1. जहाँ पर पीठासीन अधिकारी, **ऋण वसूली अधिकरण-II द्वारा वसूली प्रमाणपत्र सं** 413/2019, **ओ ए सं 253/2015 दिनांकित 12.09.2019 के द्वारा वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार वाद के शुरूआत से रु. 24,63,25,935/- (रु. चौबीस करोड़ तिरेसठ लाख पच्चीस हजार नौ सौ पैंतीस मात्र) और पैंडेंटलाईट के साथ प्रतिवादी से @14.85% वार्षिक ब्याज अदायगी की तिथि तक एवं खर्च लागत** भी प्रमाणपत्र देनदार से वसूली किया जाएगा। (वसूली योग्य राशि 51.26 करोड़ रुपये (लगभग))

2. और जहाँ पर अधोहस्ताक्षी ने इस प्रमाणपत्र से संतुष्ट हो कर निम्नलिखितानुसार अनुसूची में संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।

3. सूचित किया जाता है कि स्थागन के किसी आदेश के आभाव मे उक्त सम्पत्ति ई-नीलामी के द्वारा वेबसाईट : **https://www.bankeauctions.com** पर **"ऑन लाईन ईलैक्ट्रॉनिक बिडिंग" के माध्यम से दिनांक 28.03.2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक (दोपहर 12.00 बजे के बाद 5 मिनट प्रत्येक की अवधि के विस्तार के साथ, यदि अपेक्षित है) किया जायेगा।**

4. उपरोक्त नाम के प्रतिवादी की सम्पत्ति की बिक्री उपरोक्तानुसार सम्पत्ति के लिए संलग्न देनदारियों एवं दावें को जैसा अभी तक निर्धारित किया गया है, वे प्रत्येक लॉट के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।

5. सम्पत्ति बिक्री के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट लॉट पर की जाएगी, यदि सम्पत्ति भाग की बिक्री की राशि संतुष्टि लायक होगी तो शेष के संबंध में बिक्री को तुरन्त समाप्त कर दिया जाएगा। किसी लॉट के नीचे गिरने पर भी बिक्री समाप्त कर दी जाएगी। बिक्री कर रहे अधिकारी के समक्ष प्रमाणपत्र में उल्लिखित बकाया, ब्याज शुल्क (बिक्री लागत सहित) प्रस्तुत करने होंगे अथवा उनकी संतुष्टि के साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि प्रमाणपत्र, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी को भुगतान किए जा चुके हैं।

6 बिक्री से संबंधित कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति निविदा के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से सम्पत्ति की बिक्री के लिए अधिग्रहण अथवा प्रयास नही करेगा।

7 आयकर अधिनियम 1961 के द्वितीय अनुसूची के शर्तों एवं उसके नियमों के तहत तथा निम्न शर्तों के अनुरुप ही बिक्री की जाएगी।

7.1 बिक्री उद्घोषणा के अनुसूची में उल्लिखित विवरण अधोहस्ताक्षरी के सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दर्शाया गया है परन्तु किसी त्रुटी, गलत ब्यान अथवा उद्घोषणा में चूक के होने पर अधोहस्ताक्षरी के द्वारा प्रत्युत्तर नहीं दिए जाऐंगे।

7.2 आरक्षित मूल्य जिससे कम पर सम्पत्ति की बिक्री नही कि जायेगी जोकि भूमि 29 कनाल 18 मारला, किला नं. **11(7-7), 19 (7-12), 20/1(6-13), 22 (7-11)** खेवत नं. 223, मुरब्बा नं. 98 और किला नं. **2/2(0-15)** मुरब्बा नं. 101 और 6 कनाल 19 मारला, किला नं. 12 (6-19), खेवत नं. 455 मुरब्बा नं. 98, अरैनपुरा रोड, तहसील घरौंडा, जिला करनाल, हरियाणा में स्थित, कुल भूमि 36 कनाल 17 मरला साथ में उस पर निर्मित भवन सहित क्षेत्रफल 535 वर्ग मी. आरक्षित मूल्य रु. **13,28,00,000/-** (रु. तेरह करोड़ अट्ठाईस लाख मात्र) और धरोहर राशि जमा (ईएमडी) रू **1,32,80,000/-** (रुपये एक करोड़ बत्तीस लाख अस्सी हजार मात्र) पैरा (i) में उल्लिखित संपत्ति के संबंध में

7.3 इच्छुक बोलीदाताओं जिन्होंने अपनी बोली (आरक्षित मूल्य से कम नही) के साथ में दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, पहचान साक्ष्य और पता साक्ष्य, **वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली के कार्यालय में दिनांक 26.03.2024 को सांय 5.00 बजे से पहले जमा कराया होगा वे ही दिनांक 28.03.2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक होने वाली ई-नीलामी में भाग ले सकते है।** बोली यदि ई-नीलामी समाप्ति हेतु निर्धारित समय के अंतिम 5 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो उस दशा में ई-नीलामी बंद होने का समय 5 मिनट स्वतः बढ़ जायेगा।

7.4 **बोलीदाता अपना बोली रु. 5,00,000/- (रुपए पाँच लाख मात्र) के गुणकों में बढ़ाएंगे।**

7.5 असफल बोलीदाता अपनी धरोहर राशि ई-नीलामी बिक्री प्रक्रिया बंद होने के तत्काल बाद सीधे वसूली अधिकारी- I, डी आर टी- II, दिल्ली / सी एच बैंक अर्थात यूबीआई से प्राप्त कर सकते है।

7.6 सफलतम/उच्चतम बोलीदाता को बिक्री मूल्य का 25 प्रतिशत राशि **वसूली अधिकारी- I, डी आर टी- II,** दिल्ली, **खाता आर सी न. 413/2019 के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर के द्वारा ऑन लाईन निलामी बंद होने के 24 घण्टे के** भीतर **तैयार करना होगा** और धरोहर राशि को समायोजित करने के पश्चात यह ऑनलाईन निलामी के बंद होने से **24 घण्टे के** भीतर वसूली अधिकारी- I, डी आर टी- II, दिल्ली के कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए, ऐसा ना करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जाऐगी।

7.7 सफलतम / उच्चतम बोलीदाता सम्पत्ति बिक्री मूल्य का बकाया 75 प्रतिशत राशि **वसूली अधिकारी- I, डी आर टी- II, दिल्ली, खाता आर सी न. 413/2019 के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर के द्वारा** सम्पत्ति की बिक्री की तिथि (उस दिन को छोड़कर) से 15वें दिन या उससे पहले **वसूली अधिकारी- I, डी आर टी- II, दिल्ली** के समक्ष जमा करेगा और यदि 15वें दिन रविवार या अवकाश होता है तो अगले कार्य दिवस पर (15 दिन के पश्चात) ऐसा किया जाऐगा। एवं 2 प्रतिशत रु. 1000/- तक और उसके बाद शेष राशि पर 1 प्रतिशत की दर से पाउण्डेज फीस का भुगतान रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण- II, दिल्ली के पक्ष में जमा करवाना होगा (75 प्रतिशत शेष जमा राशि के मामले में यदि पोस्ट के माध्यम से भेजा जाता है तो उपरोक्तानुसार मे वसूली अधिकारी तक पहुँच जाना चाहिए)

7.8 सफलतम/उच्चतम बोली लगाने वाले को इस मंच के समक्ष जमा की जाने वाली प्रस्तावित नीलामी राशि पर लागू टीडीएस का भुगतान करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 194-आईए के प्रावधानों का पालन करने की स्वतंत्रता होगी। ऐसी स्थिति में, सफल/उच्चतम बोली लगाने वाले को शेष बिक्री आय का भुगतान करते समय इस फोरम के समक्ष उक्त राशि जमा करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

7.9 उपरोक्त समयावधि मे भुगतान ना करने पर, उक्त सम्पत्ति की पुनः बिक्री नई उद्घोषणा जारी करके की जाएगी। उस स्थिति मे चूककर्ता क्रेता के द्वारा जमा राशि को अधोहस्ताक्षरकर्ता यदि उचित समझता है तो विक्रय के खर्चे समायोजित किये जाने के पश्चात सरकारी खाते मे जब्त कर ली जायेगी एवं उस स्थिति में चूककर्ता क्रेता के उक्त सम्पत्ति के सम्बंध में या राशि के किसी भाग के सम्बंध मे प्राप्त समस्त अधिकार जब्त हो जायेंगे।

8. **सम्पत्ति को "जहाँ है जैसा है आधार" पर बेचा जाएगा**

9. सीएच बैंक/सीएचएफआई को यहां दिए गए विवरणों की सत्यता को प्रमाणित और सत्यापित करने का निर्देश दिया गया है

10. यदि कोई बोली या सभी बोलियाँ अस्वीकार्य पाई जाती हैं तो वसूली अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री प्रास्थगित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।

सम्पत्तियों की अनुसूची

बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण,	सम्पति या उसके किसी भाग पर राजस्व जिसका मूल्यांकन किया गया है	किसी भी प्रकार के भार का विवरण जिसके लिए सम्पति उत्तरदायी है	विवाद अगर कोई है जो कि सम्पति के सम्बंध में आगे आया है एवं अन्य कोई ज्ञात विशिष्टियां जोकि इसके मूल्य एवं प्रकृति प्रभाव रखता है।
भूमि 29 कनाल 18 मारला, किला नं. **11(7-7), 19 (7-12), 20/1(6-13), 22 (7-11)** खेवत नं. 223, मुरब्बा नं. 98 और किला नं. **2/2(0-15)** मुरब्बा नं. 101 और 6 कनाल 19 मारला, किला नं. 12 (6-19), खेवत नं. 455 मुरब्बा नं. 98, अरैनपुरा रोड, तहसील घरौंडा, जिला करनाल, हरियाणा में स्थित, कुल भूमि 36 कनाल 17 मरला साथ में उस पर निर्मित भवन सहित	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	भू-राजस्व कार्यालय में संपत्ति दस्तावेज में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, करनाल हरियाणा का प्रभार नोट किया गया है।

हस्ता/- (उत्तम नेगी),
मेरे समक्ष दिनांक 13-02-2024 को मोहर किया गया वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली